



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 08 अलग-अलग मामलों में 14 अभियुक्तों को 24000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण— पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 08 अलग-अलग मामलों में कुल 14 अभियुक्तों को कुल 24000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना मरका में पंजीकृत अभियोग 129/09 धारा 25A एक्ट के अभियुक्त विशेश्वर यादव पुत्र छेदीलाल निवासीग्राम गुजैनी थाना मरका जनपद बांदा को कुल **500/ रुपये के जुर्माने व 17 दिन के कारावास** से दण्डित कराया गया।
2. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 22/04 धारा 147/148/323//504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. मुसरत अली मुस्सन उर्फ अजहर निवासी थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर 2. बाबू उर्फ शमीम मोहम्मद थाना खखरेई जनपद फतेहपुर को कुल **2000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 138/22 धारा 3/25 आर्मस् एक्ट के अभियुक्त अंकित सैनी पुत्र बच्ची सैनी निवासी महुटा थाना अतर्रा जनपद बांदा को **1500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 91/04 धारा 323//504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1.भागवत प्रसाद पुत्र बाबूलाल 2. सात्यनारायण उर्फ भऊम पुत्र बाबूलाल निवासीगण ग्राम आऊ थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल **6000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
5. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 119/07 धारा 427//504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1.दीनदयाल पुत्र स्वामीदीन 2. कमलेश पुत्र दीनदयाल 3. कैलाश पुत्र दीनदयाल 4.तुलसा पत्नी दीनदयाल निवासीगण ग्राम महोतरा थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल **8000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
6. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 29/11 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त कामता पुत्र जियालाल नि0 गोखिया थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल **500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
7. थाना फतेहगंज में पंजीकृत अभियोग 39/12 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. सन्तोष पुत्र गयाप्रसाद 2. गयाप्रसाद पुत्र सज्जन यादव निवासीगण ग्राम खेरिया थाना फतेहगंज जनपद बांदा को **कुल 4000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
8. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 134/19 धारा 60 आबकारी अधि0 के अभियुक्त केदार पुत्र भगना निषाद नि0 भरहाई पुरवा थाना बदौसा जनपद बांदा को कुल **1500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।